न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या: 74 / 2019 / अपील / एलआरएक्ट / कोटा

दायरा दिनांक: 24.9.2019

अन्तर्गत धारा: 75 एलआरएक्ट

उनवान

मूलचंद पुत्र धूलीलाल जाति खटीक निवासी ग्राम आंवा तहसील कनवास जिला कोटा (राज0)।

...अपीलार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कनवास जिला कोटा–राज0।
2. सत्यनारायण पुत्र माधोलाल जाति काछी निवासी ग्राम आंवा तहसील कनवास जिला कोटा राज0।
3. रामप्रसाद पुत्र माधोलाल जाति काछी निवासी ग्राम आंवा तहसील कनवास जिला कोटा राज0।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री सुधीन्द्र यादव अभिभाषक अपीलार्थी

श्री हरिश शर्मा राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–1

श्री हेमेन्द्रसिंह आसावत अभिभाषक रेस्पो0 क्रम 2 व 3

:::निर्णय:::

दिनांक 7.1.2020

अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा मि0 नं0 412 / 2017 बउनवान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कनवास बनाम सत्यनारायण वगेरा मे पारित निर्णय दिनांक 13.6.2019 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि रेस्पो0 क्रम–1 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कनवास द्वारा एक प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट का अधीनस्थ न्यायालय मे इस आशय का पेश किया कि सत्यनारायण, रामप्रसाद के पिता माधोलाल के कालान्तर मे ग्राम किशोरपुरा तह0 कनवास की सरकारी भूमि साबिक ख0 नं0 78 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा भूमि आवंटित की गई थी। साबिक ख0 नं0 78 व 79 एक दूसरे से लगे हुये है जिसके चलते आवंटी माधोलाल का ख0 नं0 87 एवं उसके दक्षिण मे ख0 नं0 79 मे से 6 बीघा उत्तरी कुल 11 बीघा 2 बिस्वा एकचक कब्जे काश्त मे रहा। सेटलमेंट विभाग ने दौराने सेटलमेंट साबिक ख0 नं0 78 के नये ख0 नं0 126 कायम कर नवीन नक्शा मे नवीन ख0 नं0 को सही एंव वास्तविक स्थान पर अंकित कर दिया तथा साबिक ख0 नं0 79 रकबा 6 बीघा के नये ख0 नं0 128 व 132 कायम किये गये जिनमे से ख0 नं0 128 रकबा 0.68 है0 को तो नवीन नक्शा मे सही स्थान पर अंकित कर दिया किन्तु नये ख0 नं0 132 रकबा 0.29 है0 को मौके के वास्तविक स्थान से भिन्न स्थान पर अंकित कर त्रुटि की है जिसका सेटलमेंट विभाग को कोई विधिक अधिकार नही है अतः उक्त इन्द्राज को न्यायहित मे दुरूस्त किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली मे उपलब्ध रिकार्ड दस्तावेजात मौका रिपोर्ट पटवारी का अवलोकन कर सेटलमेंट द्वारा त्रुटि किया जाना प्रमाणित होने से ख0 नं0 127 रकबा 0.42 है0 मे से 0.29 है0 उत्तरी आराजी को राजस्व रिकार्ड मे सत्यनारायण, रामप्रसाद पुत्र माधोलाल जाति काछी निवासी ग्राम आंवा तहसील कनवास के नाम खाते दर्ज किये जाने तथा राजस्व रिकार्ड मे अंकित ख0 नं0 132 रकबा 0.39 है0 आराजी को राज्य सरकार के नाम खाते सं0 1 मे दर्ज करने का दिनांक 13.6.2019 को निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत अपील न्यायालय हाजा मे पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली मे उपलब्ध तथ्यो के विपरीत है। ख0 नं0 132 रकबा 0.29 है0 भूमि पर मौके पर अपीलांट का पिछले 60 वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा है इस तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नही किया। मौका रिपोर्ट के अनुसार भी रेस्पो0 क्रम 2व 3 का इस भूमि पर कब्जा काश्त नही रहा है। अतः अपील स्वीकार की जाकर जेरअपील निर्णय दिनांक 13.6.2019 निरस्त किया

अति० सं० आयु०
कोटा

जाने तथा ख0 नं0 132 रकबा 0.29 है0 भूमि को अपीलाट के पक्ष मे खाते दर्ज किये जाने व इन्द्राज दुरूस्त किये जाने का आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस अभिभाषक उभ्रय पक्षकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि विवादित आराजी ग्राम किशोरपुरा ख0 नं0 78 रकबा 5 बीधा 2 बिस्वा आवंटित हुई थी ख0 नं0 78 व 79 लगे हुये होने से ख0 नं0 79 मे से 6 बीघा उत्तरी कुल 11 बीघा 2 बिस्वा एकचक कब्जे काश्त मे रही है। वर्ष 1998 मे सेटलमेंट विभाग द्वारा ख0 नं0 78 के नये ख0 नं0 126 व ख0 नं0 79 के नये ख0 नं0 128 व 132 कायम किये गये ख0 नं0 132 पर पटवारी रिपोर्ट से अपीलांट का कब्जा काश्त होना स्पष्ट है। ऐसी स्थिति मे अपीलांट को बेदखल करने का जेरअपील निर्णय पारित किया जाना गलत है। विवादित आराजी मेरे खाते दर्ज की जावे।

4 विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–1 ने बहस मे मुताबिक राजस्व रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होना प्रकट करते हुये अपील अपीलांट खारिज करने का अनुरोध किया।

5 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्रम 2 व 3 ने बह समे प्रकट कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड व नक्शा अनुसार पूर्व मे ख0 नं0 78 व 79 लगे हुये है। सेटलमेंट विभाग द्वारा उक्त ख0 नं0 के नये ख0 नं0 128 व 132 कायम किये जाकर मौके के वास्तविक स्थान से भिन्न स्थान पर अंकित कर त्रुटि की है जिसका सेटलमेंट विभाग को कोई विधिक अधिकार नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने सेटलमेंट से पूर्व की स्थिति अनुसार मेरे रकबा पूर्व राजस्व रिकार्ड व नक्शें अनुसार दुरूस्त कर इन्द्राज करने का निर्णय पारित किया है जिसमे कुछ भी गलत नही है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जावे।

6 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है। विलम्ब अवधि क्षम्य हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का तथा स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है। शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों का रेस्पो0 राजकीय अधिवक्ता द्वारा खण्डन नही किया गया तथा ना ही खण्डन मे कोई साक्ष्य सबूत पेश किये गये ऐसी स्थिति मे अपीलांट द्वारा शपथ पत्र मे उल्लेखित तथ्यों को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है लिहाजा न्यायहित मे अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

7 पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख राजस्व रिकार्ड अनुसार माधोलाल को साबिक ख0 नं0 78 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा भूमि आवंटित किया जाना स्पष्ट होता है। साबिक ख0 नं0 78 व 79 एक दूसरे से लगे हुये है जिसके चलते आवंटी माधोलाल का ख0 नं0 87 एवं उसके दक्षिण मे ख0 नं0 79 मे से 6 बीघा उत्तरी कुल 11 बीघा 2 बिस्वा एकचक कब्जे काश्त मे रहा। सेटलमेंट विभाग ने दौराने सेटलमेंट साबिक ख0 नं0 78 के नये ख0 नं0 126 कायम कर नवीन नक्शा मे नवीन ख0 नं0 को सही एंव वास्तविक स्थान पर अंकित कर दिया तथा साबिक ख0 नं0 79 रकबा 6 बीघा के नये ख0 नं0 128 व 132 कायम किये गये जिनमे से ख0 नं0 128 रकबा 0.68 है0 को तो नवीन नक्शा मे सही स्थान पर अंकित कर दिया किन्तु नये ख0 नं0 132 रकबा 0.29 है0 को मौके के वास्तविक स्थान से भिन्न स्थान पर अंकित कर त्रुटि की जाना प्रमाणित होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली मे उपलब्ध रिकार्ड दस्तावेजात मौका रिपोर्ट पटवारी का अवलोकन कर ख0 नं0 127 रकबा 0.42 है0 मे से 0.29 है0 उत्तरी आराजी को राजस्व रिकार्ड मे सत्यनारायण, रामप्रसाद पुत्र माधोलाल जाति काछी निवासी ग्राम आंवा तहसील कनवास के नाम खाते दर्ज किये जाने तथा राजस्व रिकार्ड मे अंकित ख0 नं0 132 रकबा 0.39 है0 आराजी को राज्य सरकार के नाम खाते सं0 1 मे दर्ज करने का दिनांक 13.6.2019 को निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय मुताबिक राजस्व रिकार्ड न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुजाइंश नही है। लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती है।

8 निर्णय आज दिनांक 7.1.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा